SANSKRITI IAS

sanskritiias.com/hindi/pt-cards/national-child-labour-project

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किये गए आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' के तहत **58,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाकर उनका पुनर्वास करके उन्हें मुख्यधारा में शामिल** किया गया है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। इसके कार्यान्वयन की निगरानी ज़िला स्तर पर स्थापित 'ज़िला परियोजना समिति' द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट करता है।
- इसके तहत **9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर परियोजना के तहत स्थापित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता** है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में आने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वज़ीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- इसके लिये ज़िला परियोजना समितियों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जो प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिये गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों/सिविल सोसायटी संगठनों आदि को निधि संलग्न व आवंटित करती हैं।
- इस **परियोजना को बेहतर निगरानी तथा कार्यान्वयन के माध्यम से सफल बनाने के लिये 'पेंसिल' (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित** किया गया है। ध्यातव्य है कि 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सीधे जोड़ा जाता है।

X X